

संख्या- २०१७ /१-१०-२०१३-१२(३१)/१२

प्रेषक,

एल० वैकटेश्वर लू.
सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।
राजस्व अनुभाग-१०
विषय वर्ष 2012-13 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोबाइल निधि से धनावंटन।

लखनऊ: दिनांक: २३ सितम्बर, 2013

महोदय,
उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- ३८०/टैक्वी आपदा/सी०आर०एफ०/जनपद स्तर/2013, दिनांक 28-02-2013 एवं पत्र दिनांक 26-03-13 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2012-13 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित लोक निर्माण विभाग के 03 कार्यों/परियोजनाओं के लिए मांगी गयी कुल धनराशि ₹० 107,46 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत ₹० 53,73 लाख तथा अधिशासी अभियन्ता, गामीण अभियन्त्रण विभाग की 07 परियोजनाओं (प्रधानमंत्री सङ्कर बहादुरपुर प्रधानमंत्री सङ्कर के बीच आग पर मार्ग मरम्मत का कार्य को छोड़कर) एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि० गोण्डा के 02 कार्यों/परियोजनाओं के लिए मांगी कुल धनराशि ₹० 244,75 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत के रूप में ₹० 122,375 लाख अर्थात् उपर्युक्त कार्यों/परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल कुल धनराशि ₹० 1,76,10,500/- (रुपये एक करोड़ छिह्नत्तर लाख दस हजार पाँच सौ मात्र) प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्णों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -४२-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अंह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षी के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिवर्णों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राककलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं की तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रक्रिया के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीढ़ी शासन को उपरोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी

फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोद्दक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक ०४-०३-२०१३ में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बल्ती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक ३१ मार्च, २०१४ से पूर्व शासन को लियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

९- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

१०- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मटों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

मंदिर
(एल० वैकटेश्वर ल०)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या ९८/७ (१)/१-१०-२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार-पद्धति/आडिट पथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- २- आयुक्त, टैक्सीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- ३- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- ४- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत वी वैबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ५- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- ६- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी गोण्डा।
- ७- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- ८- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वैबसाइट के उपयोगार्थ।
- ९- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
- १०- गाँड़ फाड़ल।

आजपै से
३१/३/१३
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।